

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
नगर पालिका स्थगन प्रॉपत्र सं. 102/2004
तहसीलदार नागौर प/स मदनसिंह 900

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो कि
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/19	<p>वकुलाय उपस्थित। श्रीमान पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 30.11.19 को प्रेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(5/11/19)</p>
30/19	<p>वकुलाय उपस्थित। श्रीमान पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 30.11.19 को प्रेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(5/11/19)</p>
4/19	<p>वकुलाय उपस्थित। श्रीमान पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8.8.19 को प्रेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(5/11/19)</p>
8.8.19	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा मुकदमा नम्बर निगरानी/न.पा.- 37/06 मदनसिंह बनाम तहसीलदार नागौर के क्रम में इस प्रकरण की मूल निगरानी पत्रावली संख्या 335/2004 सरकार बनाम विजेन्द्र में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.11.2006 के सन्दर्भ में चाही जाने पर इस न्यायालय के पत्रांक 392 दिनांक 03.02.2007 से श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को भिजवाई हुई है और यह स्थगन पत्रावली उक्त मूल पत्रावली संख्या 335/2004 के इन्तजार में इस न्यायालय में विचाराधीन है। स्वायत शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8 (ग) (8) नियम/ डी.एल.बी. /15/5843- 6274 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का निस्तारण करने हेतु श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, को प्राधिकृत किये जाने से, इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को होने से मूल पत्रावली श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय को उपर्युक्तानुसार भिजवाई हुई है। अतः यह स्थगन पत्रावली भी श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई जावे। पत्रावली इस न्यायालय से फौसम शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर, नागौर</p>